भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3742
जिसका उत्तर मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

ऊर्जा कुशलता हेतु उद्योगों का उन्नयन

3742. श्री अजय मिश्रा टेनी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों का प्रतिशत क्या है जिन्हें नई ऊर्जा कुशलता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र को कब तक इस परियोजना के अंतर्गत शामिल करने की संभावना है;
(ख) क्या सरकार का बड़े उद्योगों हेतु भी समान कार्यक्रम शुरू करने की योजना है ताकि जैव ईंधन के उपयोग/कथित रूप से उपयोग में बचत की जा सके; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (ग): जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, विभाग ने सदैव पर्यावरण अनुकूल और कुशल ऊर्जा पहल का समर्थन किया है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (टीईक्यूयूपी) को समर्थित प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन" नाम की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहे हैं। टीईक्यूयूपी स्कीम के तहत, सरकार ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी (ईईटी) के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इस स्कीम के प्रारंभ होने के बाद से, आज की तारीख तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की 209 इकाइयों को टीईक्यूयूपी स्कीम के ईईटी क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए लाभ प्रदान किया गया है।

****